

**संघ लोक सेवा आयोग**

**भर्ती-III अनुभाग**

पद का नाम	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सहायक कृषि विपणन सलाहकार (समूह-I) के पद की 05 (पांच) (अनारक्षित-02, ईडब्ल्यूएस-01, अ.पि.व. - 01, अ.जा.-01), (पीडब्ल्यूबीडी-01) रिक्तियां।
विज्ञापन सं.	22/2022
रिक्ति सं.	22112201226

**महत्वपूर्ण अनुदेश:**

ऐसे उम्मीदवार, जो उक्त पद हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु लघु सूचीबद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के आधार पर अपनी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे मुख्य आधार/कारण बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक 19.05.2024 तक [sort3.upsc@nic.in](mailto:sort3.upsc@nic.in) पर प्रस्तुत कर दें। इस तारीख के बाद प्राप्त हुई मेल को खोला नहीं जाएगा। प्राप्त हुए सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/कारण, अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए, तो ऐसे आवेदनों को लघु सूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति बरकरार रहेगी। परन्तु इसकी जांच आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय अनुभव के संबंध में ऑनलाइन भर्ती आवेदन में किए गए दावे के अनुसार की जाएगी। तत्पश्चात्, यदि संवीक्षा संबंधी विवरण में कोई परिवर्तन हुआ, तो संशोधित और अद्यतन विवरण अपलोड किए जाएंगे। अभ्यावेदन मेल करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि पद का नाम, रिक्ति संख्या और अनुक्रमांक का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो। उक्त में से किसी ई-मेल का उत्तर अलग से नहीं दिया जाएगा।

अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो.)	<p><b>(क) शैक्षणिक:</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एक अथवा अधिक विषयों जैसे कृषि अर्थशास्त्र या कृषि विपणन या कृषि विपणन तथा सहकारिता या कृषि विस्तार शिक्षा अथवा कृषि सांख्यिकी अथवा कृषि संचार अथवा कृषि व्यवसाय अथवा कृषि इंजीनियरी अथवा फसलोत्तर प्रौद्योगिकी अथवा खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी अथवा खाद्य प्रसंस्करण अथवा फसलोत्तर प्रबंधन अथवा कोल्ड चैन लॉजिस्टिक्स अथवा बागवानी सहित कृषि में स्नातकोत्तर की डिग्री या अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा सांख्यिकी अथवा व्यवसायिक प्रबंधन सहित वनस्पति विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री।</p> <p><b>(ख) अनुभव</b></p> <p>सहकारी विपणन सहित कृषि विपणन के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।</p>
----------------------------	---

**अपनाए गए मानदंड**

- i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा ऑन-लाइन आवेदन में दी गई जानकारी और आवेदनों के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है।
- ii) आवेदनों की संवीक्षा पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
- iii) संवीक्षा हेतु ऑन-लाइन भर्ती आवेदनों (ओआरए) में किए गए दावों पर ही शैक्षिक योग्यता/अनुभव के रूप में विचार किया गया है। केवल उन उम्मीदवारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसी सूचना का दावा किया है जो उनकी अ.यो.-क और अ.यो.-ख के संबंध में पद संबंधी उनकी पात्रता के लिए स्वीकार्य हैं। ओआरए के संगत मॉड्यूल में इनकी सूचना दिए बिना संलग्न किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है।
- iv) कृषि विस्तार, वाणिज्य तथा खाद्य प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री को विचार करने हेतु स्वीकार नहीं किया गया है।
- v) अध्यापन पर संगत अनुभव के रूप में विचार नहीं किया गया है।
- vi) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं.एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर, उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर तभी विचार किया गया है, यदि उसमें समस्त अपेक्षित सूचना उपलब्ध हो।
- vii) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्रों और उम्मीदवार द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रों या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।
- viii) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार, ऐसे आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र दावा की गई सम्पूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।
- ix) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

**नोट: आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।**

## 01 पीडब्ल्यूबीडी\* रिक्ति

मानदंड: अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) 50% तक छूट दी गई

साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु:

अनुक्रमांक: -

172\$ 260\*

\$ मास्टर डिग्री/प्रमाण-पत्र के कारण अनंतिम।

\* पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण-पत्र, जिसमें दिव्यांगता का स्पष्ट उल्लेख हो, प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन अनंतिम।

(02 उम्मीदवार)

अस्वीकृत:

निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु:

अनुक्रमांक:

455

(01 उम्मीदवार)

एलडीक्यू- 'क'

14 61 65 66 321 351 407

(07 उम्मीदवार)

एलईक्यू 'ख'

अनुक्रमांक:

29 67 102 128 149 233 353 370

(08 उम्मीदवार)

## 01 अ.जा. रिक्ति

मानदंड: अ.यो. (क) + अ.यो. (ख)

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु:

अनुक्रमांक: -

369@ 371 372 384 388@ 390 392 409 414#\$ 420 423  
432 446 453 456

@ पिता के नाम में अंतर

# जन्म की तारीख के प्रमाण के कारण अनंतिम

\$ मास्टर डिग्री/प्रमाण-पत्र के कारण अनंतिम

(15 उम्मीदवार)

निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु:

455^

^ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में भी विचार किया गया

(01 उम्मीदवार)

एलडीक्यू- 'क'

374 378 379 380 386 389 391 396 400 402/403\*  
404 410 416 418 426 429 430 431 436 437 441  
445 449

\* समामेलित

(23 उम्मीदवार)

एलईक्यू 'ख'

365 366 367 368 375 377/424\* 382 385 393 394  
395 399 401 406 408 411 412 413 415 417 419  
422 427 428 434 438 439 440 443 444 447 450  
451 454

\* समामेलित

(34 उम्मीदवार)

अपूर्ण:

अनुक्रमांक

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	387, 397, 405
कार्यों के स्वरूप का उल्लेख नहीं	373, 376, 433, 435, 448, 452
अनुभव प्रमाण-पत्र दावे से मेल नहीं खाता	398, 457
अनुभव प्रमाण-पत्र मेल नहीं खाता और जन्म की तारीख का प्रमाण (X कक्षा का प्रमाण-पत्र) मान्य नहीं है।	425
नियुक्ति/त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेश/वेतन प्रमाण-पत्र/ उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया है।	

(12 उम्मीदवार)

## 01 अ.पि.व. रिक्ति

मानदंड: अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) को 07 वर्ष या उससे अधिक तक बढ़ाया गया

साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु:

अनुक्रमांक: -

244 252 253 257 277 280 291 312 326 331

^ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में भी विचार किया गया

(10 उम्मीदवार)

एलईक्यू- 'क'

अनुक्रमांक:

238 241 248 251 255 268 270 271 297 303 307  
327 332 338

(14 उम्मीदवार)

एलईक्यू 'ख'

अनुक्रमांक:

239 240 245 254 260^ 264 281 288 289 292 293  
300 305 309 314 316 319 325 329 334 335 344  
347 348 350 353^ 355 359 364

^ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में भी विचार किया गया

(29 उम्मीदवार)

अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना

अनुक्रमांक:

260^ 301

(02 उम्मीदवार)

^ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में भी विचार किया गया

अपूर्ण:

अनुक्रमांक

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	272
कार्यों के स्वरूप का उल्लेख नहीं	336, 356, 273
अनुभव प्रमाण-पत्र में उल्लिखित तारीखें मेल नहीं खाती	339
दावा की गई मास्टर डिग्री संलग्न नहीं (सात्कोत्तर)	266

कार्यक्रम मास्टर डिग्री नहीं है)	
नियुक्ति/त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेश/वेतन प्रमाण-पत्र/उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया है	

(06 उम्मीदवार)

### 01 ईडब्ल्यूएस रिक्ति

मानदंड: अ.यो. (क) + अ.यो. (ख)

#### लघुसूचीबद्ध

शून्य

(0 उम्मीदवार)

#### एलडीक्यू- 'क'

अनुक्रमांक:

222 224 225 256 232 234

(06 उम्मीदवार)

#### एलईक्यू 'ख'

अनुक्रमांक:

220 221 223 227 229 230 231 233^

^ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में भी विचार किया गया

(08 उम्मीदवार)

अपूर्ण:

अनुक्रमांक

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	228
नियुक्ति/त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेश/वेतन प्रमाण-पत्र/उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया है	

(01 उम्मीदवार)

### 02 अनारक्षित रिक्ति

मानदंड: अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) को 07 वर्ष या उससे अधिक तक बढ़ाया गया

साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु:

**अनुक्रमांक:-**

04 10 18 22 34 48/72\*<sup>§</sup> 57 70 77 87#<sup>§</sup> 92  
110 138 141 146 154 158# 163 165 172<sup>§</sup>^ 175 192  
213&

\* समामेलित

# जन्म की तारीख के प्रमाण के कारण अनंतिम

§ मास्टर डिग्री/प्रमाण-पत्र के कारण अनंतिम

& अ.पि.व. क्रीमी लेयर

^ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में भी विचार किया गया

(^23 उम्मीदवार)

**अस्वीकृत:**

**निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु:**

**अनुक्रमांक:**

74 134

(02 उम्मीदवार)

**एलडीक्यू - 'क'**

**अनुक्रमांक:**

11 23 27 32 37 40 46 50 55 56 66^ 68  
71 82 83 89 103 105 123 125 130 133 136  
177 179 182 183 185 204 206

(30 उम्मीदवार)

^ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में भी विचार किया गया

**एलईक्यू 'ख'**

**अनुक्रमांक:**

07 17 39 41 44 58 62 63 91 93 101  
104 113 114 126 128^ 132 135 143 147 148 149^  
152 155 164 171 174 184 190 195 202 203 205  
207 218&

^ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में भी विचार किया गया

(35 उम्मीदवार)

& अ.पि.व. क्रीमी लेयर

**अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना**

**अनुक्रमांक:**

03 201

(02 उम्मीदवार)

**अपूर्ण:**

**अनुक्रमांक**

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	118, 168
कार्यों के स्वरूप का उल्लेख नहीं	49, 150
अनुभव प्रमाण-पत्र स्पष्ट नहीं	106
दावा की गई मास्टर डिग्री संलग्न नहीं (स्नातकोत्तर डिप्लोमा मास्टर डिग्री नहीं है)	12
<i>नियुक्ति/ त्याग पत्र/ तैनाती आदेश/ सेवा प्रमाण-पत्र/ कार्यालय आदेश/ वेतन प्रमाण-पत्र/ उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाण-पत्र/ स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया है</i>	

(06 उम्मीदवार)

सभी शेष आवेदनों को एलईसी/एलईक्यू-ख, उनके पास बढ़ाए गए अनुभव या अनिवार्य अनुभव नहीं होने के कारण (बढ़ाए गए मानदंड में कमी/अनिवार्य योग्यता (ख) में कमी) के तहत अस्वीकार कर दिया गया है।

(186 उम्मीदवार)

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की वेबसाइट में मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>> आवेदकों की सूची में अपलोड की गई है।

**संकेतक:**

एलईक्यू-क - अनिवार्य योग्यता-क में कमी।

एलडीक्यू-ख - अनिवार्य योग्यता - ख में कमी।

एलईसी- बढ़ाए गए मानदंड में कमी।

एनओडी- कार्य का स्वरूप।

ई सी - अनुभव प्रमाण-पत्र।

परामर्शदाता उप सचिव (भ.-III)